



सेबी के नए नियम: सचिवालय लेखा परीक्षा है अनविार्य

चर्चा में क्यों?

भारतीय प्रतिभूतिएवं वनिमिय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India) ने शेयर बाज़ार की सूची में सम्मलिति सभी कंपनियों तथा ऐसी कंपनियों की "महत्वपूर्ण गैर-सूचीबद्ध" (material unlisted) सहायक कंपनियों के लिये सचिवालय लेखा परीक्षा अनविार्य कर दी है।

प्रमुख बादः

- यह नियम कॉर्पोरेट प्रशासन पर उदय कोटक समतिव्वारा अनुशंसति समूहकि निरिरानी को मज़बूत करने तथा सामूहिक स्तर पर अनुपालन में सुधार के उद्देश्य से, 'लिस्टिंग दायतिवों और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ (LODR)' के नियमों के तहत लिया गया है।
- ध्यातव्य है कि किंपनी अधनियम पहले से ही (2014 से) सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के लिये इस तरह की लेखापरीक्षा का प्रावधान करता है।
- सेबी ने अब यह भी स्पष्ट किया है कि किंपनी सचिवों और मुख्य वित्तीय अधिकारियों (CFOs) को विशेष रूप से "वरषिठ प्रबंधन" का हसिसा माना जाना चाहयि।
- इसलाई बोर्ड की नामांकन तथा पारशिरमकि समति (Nomination and Remuneration Committee of the Board) द्वारा उनके पारशिरमकि की सफिरशि की जानी चाहयि।
- वरषिठ प्रबंधन के हसिसे के रूप में मुख्य वित्तीय अधिकारियों (CFOs) का अनविार्य समावेशन न केवल उनकी वैधानकि भूमिका को मान्यता देता है बल्कि सिमार बोर्ड प्रशासन में उनकी ज़मिमेदारियों और स्थितियों का भी सम्मान करता है।
- सेबी को यह उम्मीद है कि किंपनी सचिव बोर्ड की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिये स्वयं को प्रशासनकि पेशेवरों के रूप में प्रविरति करके इस मान्यता का सम्मान करेंगे।

सेबी-

- यह भारतीय प्रतिभूतिबाजार की नियमक संस्था है, जसिकी स्थापना 1988 में हुई थी।
- सेबी अधनियम, 1992 के माध्यम से 30 जनवरी 1992 को सेबी को वैधानकि शक्तियों प्रदान की गई थी।
- सेबी अरद्ध-विधायी, अरद्ध-न्यायकि और अरद्ध-कार्यकारी तीनों प्रकार के कार्य संपादति करता है।

उदय कोटक समति

- भारतीय प्रतिभूतिएवं वनिमिय बोर्ड ने भारतीय कंपनियों में कॉर्पोरेट प्रशासन से संबंधित मुद्दों पर सलाह देने के लिये 2 जून, 2017 को इस समति का गठन किया था।
- इस समति को चार माह के अंदर अपनी रपोर्ट प्रस्तुत करनी थी।
- इस समति को अध्यक्ष कोटक महदिरा बैंक के उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक उदय कोटक थे।